न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 38/ 2016 दायर तारीख : 23-12-2016

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर

-- प्रार्थी

बनाम

1. माफी मंदिर श्री सीताराम जी जरिये पुजारी निवासी कुहाडा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

-- अप्रार्थी

उपस्थित : – पैराकार सरकार, प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 30-10-2019

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर ने वाके ग्राम कुहाडा पटवार मण्डल कुहाडा में स्थित खसरा नंबर 842/0.08, 850/0.21 हैक्टेयर अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2071–2074 है। आराजी मुतनाजा 842/0.08 में से 0.08 हैक्टेयर, 850/0.21 में से 0.21 हैक्टेयर के संबंध में राजस्व विभाग (राजस्व/ग्रुप–6) राजस्थान सरकार के परिपत्र : प. 3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया है कि उक्त खसरा नम्बर नक्शा में दर्शित अनुसार स्वामी की ढाणी से उंची टीबी ढाणी को जाने वाली सडक तक आमरास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है रास्ते पर ग्रेवल सडक बना रखी है। तथा रास्ता सार्वजनिक सडक के रूप में उपयोग में आ रहा है। अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप–6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र : प 3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड आम रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। संबंधित खातेदारान की तलबी की गई। अप्रार्थी सम्यक तामिल अनुपस्थित रहे। बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।
3. तहसीलदार विराटनगर ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अभिलेख निरीक्षक, मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, दैनिक डायरी, नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074, नकल गिरदावरी जमाबन्दी संवत् 2071–2073 आदि पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी रिकार्ड एवं तथ्यों से यह साबित है कि खसरा नंबर 842/0.08 में से 0.08 हैक्टेयर, 850/0.21 में से 0.21 हैक्टेयर भूमि सडक/आम रास्ता के रूप में काम आ रही है। अप्रार्थी द्वारा भी ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि मौके पर सडक/आम रास्ता बना हुआ नहीं है। चूंकि भूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी है। अतः न्यायालय भूमि की किस्म मौके अनुसार रिकार्ड में परिवर्तित किया जाना न्यायसंगत है। यह भी कि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक : प 3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 जारी कर निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थायी रास्ते जो राजकीय/निजी भूमियों मे से चालू है, किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है, तथा ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो बाहरमासी है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं है तथा आमजन के आने–जाने हेतु उपलब्ध है, ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60H, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। अतः खसरा नंबर 842/0.08 में से 0.08 हैक्टेयर, 850/0.21 में से 0.21 हैक्टेयर भूमि की किस्म गैरमुमकीन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम किया जावे तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज रहे।

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

आदेश

प्रार्थी, राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कुहाडा पटवार मण्डल कुहाडा में स्थित खसरा नंबर 842/0.08 में से 0.08 हैक्टेयर, 850/0.21 में से 0.21 हैक्टेयर भूमि नक्शा में दर्शित अनुसार की किस्म गैरमुमकीन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम किया जावे तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 30.10..2019 को सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner